



अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर (जोन उत्तर)
राजस्थान सरकार

क्रमांक: LU2012/ADA/2025-26/101834

दिनांक: 12/12/2025

विषय: — राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं :

श्री **HAPPY REALEARTH LLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP) AUTHORIZED SIGNATORY ROOPCHAND DIYA** पुत्र श्री **SHIVRAJ** जाति **JAT** निवासी **40 SHREEJI ENCLAVE JAIRAMPURA ROAD NEENDERJAIPUR RAJASTHAN**

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	गगवाना, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTH LLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	3476/1463	2000	0.2
2.	गगवाना, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTH LLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	3479/1464	6000	0.6
3.	गगवाना, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTH LLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1462	6200	0.62
4.	गगवाना, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTH LLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1461	5100	0.51
5.	गगवाना, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTH LLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	3503/1460	2360	0.236
6.	गगवाना, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTH LLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	3413/1487	1944	0.1944
7.	गगवाना, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTH LLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1465	2800	0.28
8.	गगवाना, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTH LLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	3409/1466	1500	0.15

		REALSQUARE LLP)			
9.	गगवाना, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTH LLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	3411/1466	2768	0.2768
10.	गगवाना, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTH LLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1484	4800	0.48
11.	गगवाना, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTH LLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1485	4300	0.43
12.	गगवाना, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTH LLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	3419/1486	3684	0.3684
13.	गगवाना, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTH LLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1488	4200	0.42
14.	गगवाना, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTH LLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1489	7000	0.7
15.	गगवाना, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTH LLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	3414/1487	714	0.0714
16.	गगवाना, अजमेर (अजमेर)	HAPPY REALEARTH LLP (FORMERLY KNOWN AS HAPPY REALSQUARE LLP)	1467	5000	0.5
				कुल	6.037

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अंगुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की -मैप, अभिव्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 को तद्घीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनालीन रखा गया समझा जायेगा।

5. आवेदक द्वारा उक्त भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगति विधि के अधीन अभिव्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

6. इन विनियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोदस्ताक्षरी के दस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **12-12-2025** को पारित किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन उत्तर)
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर



Signature valid

Digitally Signed by JAI P L SINGH
RATHORE
Designation : DS/ AO
Date: 2025.12.12 17:00:02 IST
Reason: Approved
Location: Rajasthan, IN



कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर



Web Site - ada.rajasthan.gov.in
Tel. No. - 0145-2627748, 2627749

टोकमल सेन्, सिविल लाईन्स, अजमेर

E-Mail - ajmerada@gmail.com

क्रमांक: अवि.प्रा./प.3/नियोजन शाखा/2026-27/M-1260/434

दिनांक: 25-06-2026

निमित्त:-

मैसर्स हैप्पी रियल अर्थ एल.एल.पी जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री रूपचन्द दिया पुत्र श्री शिवराज निवासी:- 40, श्रीजी एन्क्लेव, जयसमपुरा रोड, निटड, जगपुर।

विषय:- राजस्व ग्राम गणबाना के खसरा संख्या 3476/1463, 3479/1464, 1462, 1461, 3503/1460, 1460, 3413/1487, 1485, 3409/1466, 3411/1486, 1484, 1485, 3419/1486, 1488, 1489, 3414/1487, 1467 रकबा 60370.00 वर्ग मी. भूमि का टाउनशिप पॉलिसी 2024 के तहत आवासीय योजना ले-आउट प्लान स्वीकृति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा राजस्व ग्राम गणबाना के खसरा संख्या 3476/1463, 3479/1464, 1462, 1461, 3503/1460, 3413/1487, 1485, 3409/1466, 3411/1486, 1484, 1485, 3419/1486, 1488, 1489, 3414/1487, 1467 रकबा 60370.00 वर्ग मी. भूमि हेतु प्रस्तुत आवासीय योजना मानचित्र को भवन मानचित्र सगिति (ले-आउट प्लान) की 05/2026वीं बैठक दिनांक 26.05.2026 में प्रस्ताव संख्या 05 द्वारा अनुमोदित किया गया है। उपरोक्त ले-आउट के क्रियान्वयन हेतु निम्न शर्तों की पूर्ण पालना किया जाना अनिवार्य होगा :-

1. आवेदित भूमि में सड़क मार्गाभिव्यक्ति में कोई निर्माण नहीं होने की सुनिश्चितता उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जायेगी।
2. अनुमोदित मानचित्रानुसार मौके पर सुविधा क्षेत्र, सड़क, पार्क इत्यादि के डिमांडेशन की सुनिश्चितता जोन/प्राथी के स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेधान संबंधित अग्रिम कार्यवाही प्राथी द्वारा की जायेगी।
3. आवेदित भूमि का क्रियान्वयन, स्वीकृत योजना मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा एवं टाउनशिप पॉलिसी-2024 के समस्त प्रावधानों की सुनिश्चितता आवेदक द्वारा सम्पूर्ण रूप से किया जाना अनिवार्य होगा।
4. विकासकर्ता के स्तर से टाउनशिप पॉलिसी 2024 के प्रावधान 2.8 (iv) में निर्धारित समयावधि में विकास कार्य पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
5. योजना के भूखण्डों पर सैटबैक व अन्य मानदण्ड प्रचलित भवन विनियम के प्रावधानानुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।
6. आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सड़क के सहारे विस्थापित किया जाये जिसकी सुनिश्चितता उपरान्त जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावेगा।
7. योजना में सृजित भूखण्डों का पट्टा विलेख हेतु आवेदन से पूर्व समस्त बकाया सशि (यदि कोई देय हो) प्राधिकरण कोष में जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।
8. स्वीकृत योजना मानचित्र प्राप्त होने के पश्चात रेरा रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य होगा व रेरा रजिस्ट्रेशन की छया प्रति प्राधिकरण में उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही पट्टा विलेख जारी किये जावेगे। इसी क्रम में योजना में सृजित भूखण्डों के स्थल मानचित्रों में रेरा रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
9. टाउनशिप पॉलिसी-2024 के प्रावधान अनुसार कुल विक्रय योग्य क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत भूखण्डों को रहन रखे जाने हेतु पट्टों के आवेदन से पूर्व शपथ पत्र मय भूखण्डों की सूची कार्यलय में प्रेषित की जानी होगी।
10. योजना मानचित्र में केवल तकनीकी अनुमोदन दिया जा रहा है, जिसे स्वाभिमन्य से संबंधित दस्तावेज नहीं माने जाये।
11. उक्त प्रस्तावित भूमि से संबंधित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाधि एवं मासिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्राथी स्वयं की होगी। इस बाबत शपथ पत्र लिया जाये की प्रसंगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है तथा किसी न्यायालय में कोई वाद लंबित नहीं है, इस बाबत जोन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जाये।
12. प्रस्तावित भूमि के संबंध में आवेदक द्वारा कोई गलत कथन अथवा सारवान तथ्य छुपाया जाना सिद्ध पाया जाये तो उक्त स्थिति में यह स्वीकृति स्वतः ही निष्प्रभावी मानी जावेगी।
13. प्राधिकरण की 05/2026 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण अनुसार समस्त शर्तों की पालना प्राथी के स्तर से किया जाना अपेक्षित रहेगा।

स्वीकृत ले-आउट प्लान की प्रमाणित प्रतिलिपि की प्रति संलग्न कर प्रेषित हैं।

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर।

दिनांक: 25-06-2026

क्रमांक: अवि.प्रा./प.3/नियोजन शाखा/2026-27/435-436
प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त (उत्तर), अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
2. रक्षित पत्रावली के साथ ले-आउट प्लान की एक प्रति संलग्न कर डाईग रिकॉर्ड में संवारण

Signature valid

Digitally signed by Sunil Chauhan
Reason: Approved
Date: 2026.06.25 11:10:20 IST

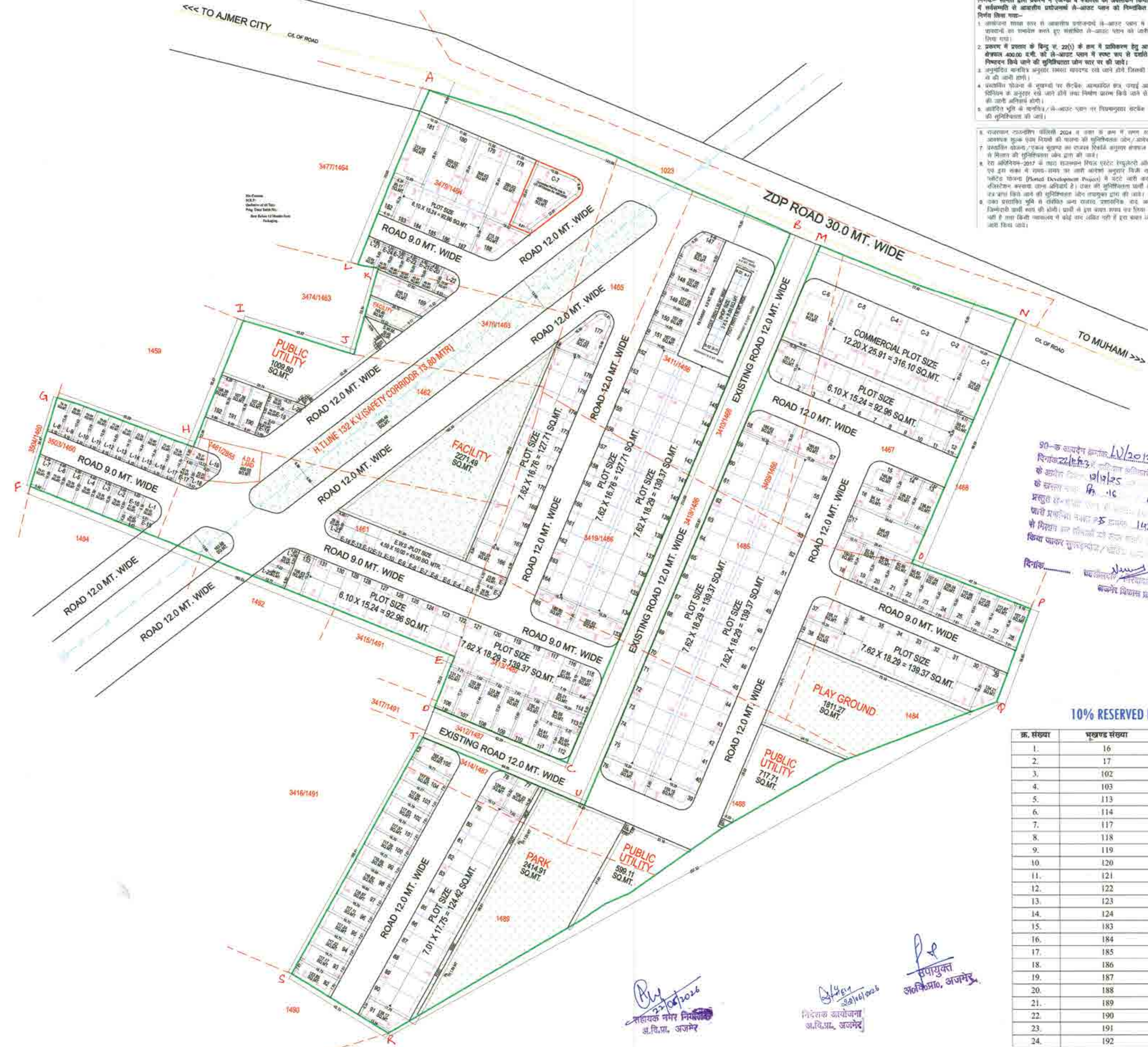
RajKaj Ref No.:
23040551

M e-Sign



PROPOSED LAY OUT PLAN OF "VRINDAVAN VIHAAR", AT VILLAGE :- GAGWANA, TEH:- AJMER, AJMER.
UNDER KHASRA NO.-1461,1462,1465,1467,1484,1485,1488,1489,3414/1487,3413/1487,3419/1486,3411/1466,3409/1466,3476/1463,3479/1464,3503/1460,

RERA NO.: RAJ/P/2026/5179



निर्माण संख्या : 06 राजकाय संख्या : 28642/06/2026 दिनांक : 28.06.2026 एन-1285-2026

क्र.	खण्ड	खण्ड का नाम	खण्ड की विवरण
1.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
2.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
3.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
4.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
5.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
6.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
7.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
8.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
9.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
10.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
11.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
12.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
13.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
14.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
15.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
16.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
17.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
18.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
19.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
20.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
21.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
22.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
23.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
24.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
25.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
26.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
27.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
28.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
29.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
30.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
31.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
32.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
33.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
34.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
35.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
36.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
37.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
38.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
39.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
40.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
41.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
42.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
43.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
44.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
45.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
46.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
47.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
48.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
49.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
50.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
51.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
52.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
53.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
54.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
55.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
56.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
57.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
58.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
59.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
60.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
61.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
62.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
63.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
64.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
65.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
66.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
67.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
68.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
69.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
70.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
71.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
72.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
73.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
74.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
75.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
76.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
77.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
78.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
79.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
80.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
81.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
82.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
83.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
84.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
85.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
86.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
87.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
88.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
89.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
90.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
91.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
92.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
93.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
94.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
95.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
96.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
97.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
98.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
99.	अवकाश	अवकाश	अवकाश
100.	अवकाश	अवकाश	अवकाश

10% RESERVED PLOTS

क्र.	संख्या	प्रत्येक संख्या	कुल (वर्गमीटर)
1.	16	94.14	
2.	17	346.45	
3.	102	117.63	
4.	103	117.59	
5.	113	94.59	
6.	114	95.21	
7.	117	139.37	
8.	118	139.37	
9.	119	139.37	
10.	120	139.37	
11.	121	139.37	
12.	122	92.96	
13.	123	92.96	
14.	124	92.96	
15.	183	92.96	
16.	184	92.96	
17.	185	92.96	
18.	186	92.96	
19.	187	92.96	
20.	188	215.18	
21.	189	240.13	
22.	190	107.26	
23.	191	107.26	
24.	192	108.39	
कुल योग,		3084.36	

क्र.	संख्या	प्रत्येक संख्या	कुल (वर्गमीटर)
1.	16	94.14	
2.	17	346.45	
3.	102	117.63	
4.	103	117.59	
5.	113	94.59	
6.	114	95.21	
7.	117	139.37	
8.	118	139.37	
9.	119	139.37	
10.	120	139.37	
11.	121	139.37	
12.	122	92.96	
13.	123	92.96	
14.	124	92.96	
15.	183	92.96	
16.	184	92.96	
17.	185	92.96	
18.	186	92.96	
19.	187	92.96	
20.	188	215.18	
21.	189	240.13	
22.	190	107.26	
23.	191	107.26	
24.	192	108.39	
कुल योग,		3084.36	

अ.वि.प्रा.

दस्तावेज :- 1:750

LOCATION MAP

खसरा मानचित्र

ZONAL DEVELOPMENT PLAN

GOOGLE IMAGE MAP OF EXISTING LAND

NOTE:-
Suggested Plot For Adm In L.F. Of Khassra No. 1461/2885 (plot no. C-7)

1. कुल आवासीय भूखण्ड = 192
2. व्यवसायिक भूखण्ड = C-6
3. कुल EWS भूखण्ड = E-24
4. कुल LIG भूखण्ड = L-25
5. खुदरा दुकाने = S-22

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1.	RESIDENTIAL	25290.45	41.89 %
2.	EWS & LIG	2829.07	04.68 %
3.	COMMERCIAL	2001.90	03.32 %
4.	RETAIL	198.00	
5.	PARKING	774.15	01.61 %
TOTAL = 1+4		31093.57	51.50 %
6.	PARK	2414.91	04.00 %
7.	PLAY GROUND	1811.27	03.00 %
8.	FACILITY	2414.89	04.00 %
9.	PUBLIC UTILITY (S.W.M./M.T.)	2416.62	04.00 %
10.	H.T. LINE	2659.14	04.41 %
11.	ZDP RD 30 M.	2698.79	04.47 %
12.	ROAD	14860.81	24.62 %
TOTAL = 5 TO 11		29276.43	48.50 %
SCHEME AREA		60370.00	100.00 %
EXISTING B.T ROAD 12.0 MT. WIDE		3346.78 SQ.MTR.	

CAD MAX PROJECTS PVT. LTD.
101 And 102, 1st Floor, The Prime Tower,
Opp. Police Head Quarters, Lal Kothi,
Consultant Road, Jaipur, Rajasthan-302015
PROJECT NO. 111831





Rajasthan Real Estate Regulatory Authority, Jaipur
2nd & 3rd Floor, RSIC Wing, Udyog Bhawan,
Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005
Website : <http://rera.rajasthan.gov.in>
Phone No.: 0141-2851900



REGISTRATION CERTIFICATE OF PROJECT

This Certificate of registration is hereby granted under Section 5 of the Real Estate(Regulation and Development) Act, 2016 to the following project:-

1. Project registration number: **RAJ/P/2026/5179**
2. Details of Project: **VRINDAVAN VIHAAR** , at Plot/Khasra No.1461, 1462, 1465, 1467, 1484, 1485, 1488, 1489, 3414/1487, 3413/1487, 3419/1486, 3411/1466, 3409/1466, 3476/1463, 3479/1464, 3503/1460 , Village- Gagwana , Gagwana , Ajmer - 305023 (Rajasthan)
3. Details of promoter:Name of the firm/society/company/competent authority **HAPPY REALEARTH LLP**having its office address at **Khasra No. 156 , Hasampura Bas , Sanganer , Jaipur (Rajasthan) - 302026**
4. This registration is granted subject to the following conditons,namely:-
 - i. The promoter shall enter into an agreement for sale with the allottees as provided in Form-G;
 - ii. The promoter shall execute and register a conveyance deed in favour of the allottee for the apartment. Simultaneously he shall also execute and register the conveyance deed for the undivided proportionate title in the common areas to the association of the allottees or the competent authority,as the case may be,as per Section 17 of the Real Estate(Regulation and Development) Act, 2016;
 - iii. The promoter shall deposit seventy percent of the amounts realised by the promoter in a separate, account to be maintained in a shedule bank to cover the cost of construction and the land cost to be used only for that purpose as per subclause(D) of clause(1) of sub - Section(2) of Section 4 of the Real Estate(Regulation and Development) Act, 2016
 - iv. The registration shall valid upto **25-04-2030**(Estimated Finish Date) unless extended by the Real Estate Regulatory Authority in accordance with Section 6 of the Real Estate(Regulation and Development) Act,2016 read with rule 7 of the

Digitally signed by RAJIV JAIN
Designation: REGISTRAR
Date: 2026-06-30 12:34:58 IST
Location: Rera, Rajasthan

v-21

Rajasthan Real Estate(Regulation and Development) Rules,2017;

- v. The promoter shall comply with the provisions of the Act and the rules and regulations made there under;
 - vi. The promoter shall not contravene the provisions of any other law for the time being in force in the area where the project is being developed.
5. If the above mentioned conditions are not fulfilled by the promoter, the Authority may take necessary action against the promoter including revoking the registration granted here in.
 6. If Applicable, it is the responsibility of the promoter to obtain the necessary extension of the time period indicated in Form-B regarding 'Date of Completion'.

This bears approval of Chairman,Rajasthan Real Estate Regulatory Authority(RERA)

Digitally signed by RAJIV JAIN
Designation: REGISTRAR
Date: 2026-06-30 12:34:58 IST
Location: Rera, Rajasthan

v-21

AJMER ZONAL PLAN

MASTER PLAN_AJMER

